न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सुपुर्दी प्रार्थना पत्र संख्या 56/25 वर्ष 2025

GCMS NO :–2025/184

बउनवानी:–राकेश गुर्जर पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर–11 बैरवा मौहल्ला ग्रा0पो0 छाण तहसील खण्डार

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या मुत. 6ए संख्या 68/2025 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम कृष्णावतार गर्ग मे उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग की दुकान से जब्तशुद्व 6279.46 किलोग्राम गेहूँ की सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित :–1. श्री हरीश भारद्वाज वकील अप्रार्थीगण

2. श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांक 25.3.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2025 मे दिनांक 28.5.2025 को दौराने जॉच उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग वार्ड संख्या 11 बी नगर परिषद सवाईमाधोपुर की दुकान से जब्तकर कब्जेराज लिये गये 6279.46 किलोग्राम गेहूँ को प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलनोकन किया गया व बहस पैरोकार रसद सुनी गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि यह कि जिला रसद अधिकारी के द्वारा मिथ्या साक्ष्य अंकित किया हैं कि उक्त गेहूं राशन की दुकान से बरामद हुआ हैं जबकि उक्त गेहूं रिहाईशी मकान के अंदर प्रार्थी के किराए से लिए गए कमरे से ताला तोड़कर अधिकारी के द्वारा जब्त किए हैं, अधिकारी के द्वारा स्पष्ट अंकित किया हैं कि उक्त गेहूं के कट्टे सूतली से सिले हुए हैं बोरी एवं प्लास्टिक के कट्टे हैं, विभाग के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ गवाह एवं दस्तावेज पेश नहीं किया हैं, जिससे साबित हो कि उक्त गेहूं राशन का था, वितरण हेतु राशन डीलर को दिया था, गेहूं के जब्त 125 कट्टे के वास्तविक मालिक के द्वारा सुपुदर्गी लगाने से साबित हैं कि गलत, मिथ्या, भ्रमात्मक एवं झूठे मुकदमा बनाकर विधि विरूद्ध प्रार्थी का गेहूं जब्त किया हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं हैं, विभाग के द्वारा जब्त करने के उपरांत न तो 6ए के तहत नोटिस दिया ना ही जब्ती का दस्तावेज दिया हैं। प्रदर्श 1 लगायत 25 से साबित हैं कि प्रार्थी के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही की हैं। रसद अधिकारी के द्वारा राशन डीलर से अनुचित धनराशि हड़पने या निजि द्वेषता के कारण प्रार्थी का गेहूं जब्त किया हैं निरीक्षण दल द्वारा राशन डीलर की दुकान के पीछे वाला कमरा जो कि उचित मूल्य दुकान के नक्शे में शामिल नहीं था जो कि उक्त कमरा प्रार्थी राकेश गुर्जर निवासी छान द्वारा किराये पर लिया हुआ था, में मौजूद गेहूं के कट्टों को जो कि प्रार्थी ने स्वयं के खुद काश्त का गेहूं था, सवाईमाधोपुर मंडी में बेचने के लिये लाया था जो कि उक्त किरायेशुदा परिसर/कमरे में मौजूद गेहूं के कट्टों को विधि विरूद्ध राशन की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर जब्त किया किया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के द्वारा भी जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 28.05.2025 को प्रार्थी के किरायेशुदा परिसर से जब्त गेहूं को दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अग्रिम कार्यवाही अमल में ले

(....1.....)

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाकर, झूठा मुकदमा बनाकर पेश कर दिया। यह भी अंकित किया कि जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जब्त करने से पूर्व ना तो कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी एवं ना ही दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वरवक्त जांच रिहाईशी मकान के पीछे वाला कमरा जो कि स्वीकृत उचित मूल्य दुकान से संबंधित नहीं था को बिना किसी अधिकार के जांच की; जाकर उक्त कमरे में प्रार्थी के खुद काश्त के गेहूं जो कि गेहूं के 125 कट्टों को कृषि उपज मंडी सवाईमाधोपुर में बेचने के लिए दिनांक 27.05.2025 को लाया था लेकिन मंडी में भाव नहीं आने के कारण प्रार्थी ने किराये का कमरा लेकर उक्त गेहूं के 125 कट्टे जो सूतली से हाथ से सिले हुए रखे हुए थे, को जबरन उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर जब्त कर दिया जबकि राशन डीलर द्वारा वक्त निरीक्षण उक्त तथ्य बाबत् जांच दल को अवगत करा दिया गया लेकिन जांच दल द्वारा धमकाकर राशन डीलर से फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये गये एवं उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी का खुद काश्त का गेहूं था जो रिहायशी के मकान में किरायेशुदा परिसर में रखा हुआ था, को जांच दल द्वारा जबरन जब्त किया जाकर ले गए, जिसके बाबत् प्रार्थी द्वारा भी उक्त जब्तशुदा गेहूं को दिलवाये जाने बाबत् श्रीमान् जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थी द्वारा भी प्रस्तुत जवाब में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि उक्त जब्तशुदा गेहूं से राशन डीलर का कोई लेना देना नहीं है एवं उक्त गेहूं राशन की उचित मूल्य दुकान का गेहूं नहीं होकर प्रार्थी का गेहूं है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर जब्त करने का आदेश दिया जो विधि विरूद्ध हैं। जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/तथ्य एवं दस्तावेजों को देखे बिना ही निर्णय पारित किया हैं, जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं गेहूं के कथित बोरे/प्लास्टिक 125 कट्टे सूतली से सिले हुए के प्रार्थी द्वारा रसद अधिकारी को भेजे गए व्यक्तिगत एवं रजिस्टर्ड पत्रांक दिनांक 05/06/2025 को निर्णय में अंकित किया, ना ही विचार किया हैं प्रार्थी के द्वारा अन्य दस्तावेज रसद अधिकारी एवं श्रीमान के न्यायालय में रजिस्टर्ड डाक से भी भिजवाएं हैं यथा बारदाना खरीद बिल, खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि दिनांक 25/05/2025, जमाबंदी एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं उक्त दस्तावेजों एवं संबंधित तथ्यों को न तो निर्णय में अंकित किया हैं, ना ही संज्ञान में लिया हैं उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा राशन डीलर को भी उपलब्ध करवाऐ हैं जिनसे प्रथम दृष्टया साबित होता हैं कि विभाग के द्वारा जब्त गेहूं के 125 कट्टे प्रार्थी के हैं। मकान नक्शे में कथित मकान संतोषदेवी, कृष्णावतार गर्ग का मकान अंकित हैं, राशन की दुकान का नक्शा, प्रथम दृष्टया साबित करता हैं कि रसद विभाग की कार्यवाही विद्वेषपूर्ण एवं गुप्त मकसदो की पूर्ति हेतु की गई थी, इस कारण ही रसद विभाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में बरामदगी स्थल का नक्शा नहीं बनाया हैं, फर्द मौका एवं जब्ती में मिथ्या तथ्य अंकित किया हैं कि "मौके पर दुकान के भीतर बने गोदाम में कुल जूट के कट्टे पृथक से रखे हुये पाये गये। संलग्नक फोटोग्राफ दुकान से सत्यापित हैं कि राशन की दुकान में कोई भी कमरा मौजूद नहीं हैं, ना ही दुकान में से कमरे में जाने का रास्ता हैं। कमरा रिहायशी मकान के अंदर हैं, जिसका रास्ता स्वतंत्र हैं, रसद विभाग के अधिकारियों को उक्त मकान में न तो प्रवेश करना का अधिकार था ना ही उनके पास तलाशी लेने का अनुज्ञापत्र था, राशन डीलर एवं अन्य गवाहों के द्वारा मौके पर ही अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि उक्त गेहूं प्रार्थी राकेश गुर्जर का हैं, इसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रार्थी की अनुपस्थिति में ताला तोड़कर गेंहू को अपने कब्जे में लिया हैं जो कि विद्वेषपूर्ण कार्यवाही के अंतर्गत होना स्वयंसिद्ध करती हैं, उक्त गेहूं प्रार्थी का होना साबित हैं। रसद अधिकारी के द्वारा गवाह प्रेमचंद, श्याम कुमार एवं राजेश गर्ग से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं इसके उपरांत उक्त दस्तावेजों पर कार्यवाही अंकित की हैं, उक्त गवाहों ने अपने शपथ पत्र में ताईद की हैं कि "दिनांक 27/05/2025 सायंकाल के समय मेरे सामने राकेश गुर्जर नामक व्यक्ति ट्रेक्टर, ट्रॉली में बोरे / प्लास्टिक के कट्टों में गेहूं भरकर लाया था, उक्त गेहूं के कट्टे संतोष कृष्णावतार के मकान में एक कमरा किराया पर लेकर रखकर गया था, दिनांक 28/05/2025 को रसद

(....2.....)

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विभाग का एक व्यक्ति दुकान के पास बने मकान के अंदर घुस गया, और एक कमरा को खोलने के लिए कहने लगा। कृष्णावतार ने मेरे सामने ही रसद विभाग के अधिकारी को कहा था कि उक्त कमरा राकेश गुर्जर ने कल ही किराए पर लिया हैं, उसका माल रखा हुआ हैं, मैं राकेश गुर्जर को बुलवा देता हूं ताला मत तोड़ो, लेकिन अधिकार नहीं माना और ताला तोड़ दिया। मकान के अंदर बने एक कमरे का ताला तोड़कर खोला उसमें 125 बोरे/प्लास्टिक के कट्टे जिनके मुंह की सिलाई सामान्य सुतली से हो रही थी, मिले थे, उक्त कट्टे राकेश गुर्जर दिनांक 27/05/2025 को सायंकाल को रखकर गया था। मेरे सामने न तो कमरे में मिले 125 बोरे/प्लास्टिक के कट्टों को तोला गया था ना ही जब्त किया था ना ही अन्य जगह पर भिजवाया था। उक्त साक्ष्य से सत्यापित हैं कि विभाग के द्वारा विद्वेषपूर्ण कार्यवाही की हैं, प्रदर्श–25 दिनांक 28/05/2025 प्रार्थी के किराए के कमरे के फोटोग्राफ से साबित हैं कि उक्त माल प्रार्थी का ही हैं, जबकि विभाग के द्वारा घटना स्थल का कोई भी फोटोग्राफ गेहूं हड़प करने एवं राशन डीलर से द्वेषता होने से पेश नहीं किया हैं रसद विभाग के अधिकारियों को उक्त मकान में न तो प्रवेश करने का अधिकार था ना ही उनके पास तलाशी लेने का अनुज्ञा पत्र था, कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अमजद अली बना पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय दिनांक 20.11.2023 पेश किया एवं गैस सलेण्ड जब्त करने का अधिकार सब इन्सपेक्टर को नही है कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त अवतार सिंह बनाम पंजाब सरकार निर्णय दिनांक 23.3.2023, पेश किया एवं तीन भाईयों की सामलाती कृषि भूमि मे उत्पन्न हुए 40 बोरी गेहूँ को घर पर रखने का कृषक को अधिकार है कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकार बनाम सनसिहं निर्णय दिनांक 11.4.1986 पेश किया। अतः सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त गेहूँ प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से दिनांक 5.8.2025 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर श्री रामभजन मीना द्वारा दिनांक 28.05.2025 को श्री कृष्णावतार गर्ग, उचित मूल्य दुकानदार (पीओएस मशीन नं. 9576) वार्ड नं. 11 बी, नगर परिषद सवाई माधोपुर की उचित मूल्य दुकान की जांच हेतु प्रातः 10.30 बजे मौके पर पहुँचने पर उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग स्वयं उपस्थित मिला तथा दुकान खुली पायी गयी। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार की पोस मशीन नं. 9576 की जांच करने पर पोस मशीन में गेहूं का ऑनलाईन स्टॉक 413.19 किलोग्राम दर्ज होना पाया गया। इसके अलावा माह जून 2025 के पेटे खाद्य एवं आपूर्ति निगम, सवाई माधोपुर की ओर से आपूर्ति किये गये गेहूं की मात्रा 2407.35 किलोग्राम के चालान की प्रति चालान संख्या CHAW00015118045 प्रस्तुत की है। वरवक्त जांच डीलर की पोस मशीन में दर्ज गेहूं के ऑनलाईन स्टॉक (413.19 कि.ग्रा.) तथा माह जून 2025 के पेटे आपूर्ति में प्राप्त मात्रा (2407.35 किलोग्राम) के आधार पर कुल स्टॉक 2820.54 किलोग्राम होना चाहिए था किन्तु मौके पर उपलब्ध गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 182 कट्टे पाये गये। उक्त 182 कट्टों में 50 किलोग्राम प्रति कट्टा के हिसाब से कुल गेहूं 9100 किलोग्राम पाया गया। मौके पर दुकान में 107 कट्टे पाये गये जिनमें से 12 कट्टे जूट की पैकिंग में तथा 95 कट्टे प्लास्टिक की पैकिंग में पाये गये। मौके पर दुकान के भीतर बने गोदाम में कुल 75 कट्टे होना पाये गये जिनमें से 62 कट्टे जूट की पैकिंग में 13 कट्टे प्लास्टिक की पैकिंग में पाये गये। इस प्रकार श्री कृष्णावतार गर्ग की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड के अनुसार वांछित मात्रा से 6279.46 किलोग्राम अधिक होना पाया गया। वरवक्त जॉच मौके पर भण्डारित गेहूं के अधिक स्टॉक बाबत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा कोई संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जहॉ तक उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर निवासी छाण के बताते हुए प्रस्तुत खसरा गिरदावरी का प्रश्न है तो उक्त ख0न0 गीता पत्नि कैलाश जो कि प्रार्थी की माता है उसमे से प्रार्थी का कितना हिस्सा बनता है स्पष्ट नही है तथा मकान का किरायानामा भी पेश नही किया है। जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन कि उक्त कमरा प्रार्थी द्वारा किराये पर ले रखा था की पुष्टि नही होती है।

(....3.....)

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है। उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग द्वारा कालाबाजारी की नियत से गेहूं का अवैध भण्डारण करके राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3, 5 व 20 का तथा इसी आदेश के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 11, 17 (1) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत डीलर की दुकान/गोदाम में अवैध रूप से भण्डारित अधिक पाये गये गेहूं के स्टॉक 6279.46 किलोग्राम गेहूं को जब्त कर कब्जेराज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से निकटवर्ती अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री पवन कुमार जैन, वार्ड नं. 12, पीओएस मशीन नं. 9578 नगर परिषद सवाई माधोपुर को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री कृष्णावतार गर्ग उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त अनियमितितायें की जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। श्री कृष्णावतार गर्ग के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआई) संख्या 0170/2025 दिनांक 04.06.2025 को दर्ज करवा दी गई है। अतः श्री कृष्णावतार गर्ग की उचित मूल्य से जब्तशुदा 6279.46 किलोग्राम गेहूं का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण करते हुए प्रकरण मे जब्तसुदा गेहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश करने बाबत निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार श्री कृष्णावतार गर्ग उ0मू0 दुकानदार की पीओएस मशीन संख्या 9576 मे जॉच के दौरान 2820.54 किलोग्राम गेहूँ दर्ज था किन्तु दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 9100 किलोग्राम गेहूँ पाया गया जो पीओएस मशीन के स्टॉक से 6279.46 किलोग्राम गेहूँ अधिक था उक्त अधिक पाये गये गेहूँ के संबंध मे कृष्णावतार गर्ग द्वारा कथन किया कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर निवासी छाण के खेत मे उत्पन्न हुए है जिनको राकेश गुर्जर मण्डी मे बैचने के लिए लेकर आया था किन्तु मण्डी मे भाव कम होने के कारण राकेश गुर्जर द्वारा अप्रार्थी के मकान मे कमरा किराये पर लेकर रखना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी या मकान का किरायानामा इत्यादि पेश नही किया गया है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर के थे तथा उसने अप्रार्थी के मकान मे कमरा किराये पर लेकर रखा हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनो न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर जब्त कर कब्जेराज लिये गये 6279.45 किलोग्राम गेहूँ प्रार्थी राकेश गुर्जर का माना जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार के कथनानुसार उक्त गेहूँ उ.मू.दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग की दुकान का होना साबित होते है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी 6ऐ की कार्यवाही मे विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गी प्रार्थना खारिज किया जाकर प्रकरण मे जब्त कर कब्जे राज लिये गये 6279.45 किलोग्राम गेंहूँ को राजसात (Confiscate) किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner